STATEMENT BY MINISTER

Incident of sexual assault on a woman by a cab driver in Delhi

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको दिसम्बर 05, 2014 की रात्रि और दिसम्बर, 06, 2014 के मध्य हुई एक युवती के यौन-उत्पीड़न की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटने के बारे में बताना चाहता हूं।

भारत सरकार, इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निन्दा करती है और केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी को इस घृणित अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक 05.12.2014 को देर रात के दौरान एक 26 वर्षीय महिला (गोपनीयता और कानूनी पेचीदगियों के लिहाज़ से पीड़ित महिला की पहचान गोपनीय रखी गई है।) ने रात्रि में लगभग 10.30 बजे वसंत विहार क्षेत्र से इन्द्रलोक, जो कि उत्तरी जिला, सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है, तक जाने हेतु UBER Cab Service के माध्यम से Online टैक्सी बुक कराई थी। महिला गुड़गांव में स्थित अपने कार्यालय के अवकाश के बाद कुछ मित्रों के साथ वसंत विहार आई थी।

महिला ने यह बताया है कि जब वह टैक्सी में बैठी थी तो उसे कुछ समय के लिए झपकी आ गई थी और जब वह झपकी से जागी, तब उसने अचानक यह महसूस किया कि टैक्सी किसी सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और चालक पिछली सीट पर उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था। उसने शोर मचाने का प्रयास किया, परन्तु चालक ने उसे घायल करने की धमकी दी और कार में ही उसके साथ sexul harassment किया। घटना के बाद चालक ने मध्य रात्रि को लगभग 1.00 बजे उसे उसके घर पर छोड़ा और उसे दोबारा धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे।

उपसभापति महोदय, जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला में IPC की धारा 376/323/506 के अंतर्गत FIR No. 1291/14 दिनांक 06.12.2014 के तहत तुरंत एक मामला दर्ज कर लिया गया। अपराधी की धरपकड़ के लिए तुरंत पुलिस-टीमें गठित करके उन्हें काम पर लगा दिया गया और महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया तथा दिल्ली महिला आयोग द्वारा authorized एक गैर सरकारी संगठन (NGO) के स्वयंसेवक द्वारा उसकी counseling भी की गई। पुलिस दल को मिले सुरागों और उसके द्वारा की गई अनथक छान-बीन के फलस्वरूप अपराधी चालक को मथुरा के अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी Swift Desire संख्या DL-1 YD-7910 के साथ पकड़ लिया गया। अपराधी चालक ही इस गाड़ी का मालिक है। उसने यह गाड़ी Uber Cab Service में रजिस्टर करा रखी है। बरामद गाड़ी को दिल्ली लाया गया, जिसकी गहन forensic investigation की जा रही है।

उपसभापति महोदय, अभियुक्त को दिनांक 07.12.2014 को मथुरा से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है, जहां उसे दिनांक 08.12.2014 को अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

उपसभापति महोदय, दिल्ली पुलिस, किए गए अपराध में टैक्सी सर्विस Uber की legal libility के संभावित मुद्दों की भी छान-बीन कर रही है। एन.सी.टी. दिल्ली के परिवहन विभाग ने उक्त कंपनी द्वारा एन.सी.टी. दिल्ली में परिवहन से संबंधित कोई भी सेवा मुहैया करवाए जाने पर रोक लगा दी है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को यह ensure करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, को तब तक टैक्सियां नहीं चलाने दी जाएं अथवा सेवाएं नहीं मुहैया कराने दी जाएं, जब तक कि वे राज्य सरकारों/संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासनों से अपना रजिस्ट्रेशन न करवा लें, धन्यवाद। **...(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I will allow you. But everybody should stick to seeking clarifications only.

श्री आनन्द शर्मा (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने अभी जो वक्तव्य दिया है, यह सही है कि पूरा सदन एक आवाज़ में इस अपराध की, इस घटना की घोर निंदा करता है। इसके साथ जुड़े कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न महिलाओं की सुरक्षा का है, प्रश्न सरकार की कार्यशैली का है, खास तौर पर इस बात को देखते हुए कि यह जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, जिसने अपराध किया है, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रमाण-पत्र हैं, चाहे वे दिल्ली पुलिस के हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हों और जो गाड़ी है, जिसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्टर करता है, नंबर उन्होंने दिया है, तो क्या रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी कोई जांच नहीं हुई थी? क्योंकि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि है, इसी व्यक्ति की पहले भी इस तरह के बलात्कार की पृष्ठभूमि है। उसके बावजूद उसको लाइसेंस भी मिले, उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, तो गृह मंत्री जी, इसको सरलतापूर्वक नहीं देखा जा सकता कि Ubar Company, रेडियो टैक्सी सर्विसेज की कंपनियां तो बहुत आ रही हैं और अगर कोई व्यक्ति उनके पास आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन लेकर, पुलिस का दिया हुआ प्रमाणित लाइसेंस लेकर जाएगा, तो उनको कैसे संदेह होगा? आपके पुष्टिकरण का क्या तरीका है? आप किस तरह से देखते हैं? इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे कि जितनी रेडियो टैक्सीज़ चलती हैं, बाहर की हैं जैसे Uber है, Ola है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वह एक अलग बात है, लेकिन आप उसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया बनाने जा रहे हैं और किस तरह से आप यह तय करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी रेडियो टैक्सी सर्विस चलती हैं... केवल यह ही नहीं है, भारत की अपनी भी रेडियो टैक्सी सर्विस है। उसमें इस तरह के दसियों-हजार ड्राइवर काम करते हैं, दसियों-हज़ार गाड़ियां लगी हुई हैं, तो उन सबकी जांच करके कोई सेंट्रल डेटा बैंक बनेगा या नहीं बनेगा?

दूसरे, क्या सरकार इसमें एक मत की है? यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए, पर अभी आपके ही जो कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं.... तो कम से कम सरकार एक स्वर में बोले तो अच्छा लगता है। **...(समय की घंटी)**... आप सदन में आए, आपने

[श्री आनन्द शर्मा]

बयान दिया है, पर हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि पहले तो सरकार एक स्वर में बोले। आप आपस में सहमति करके तय कर लें, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं... आप भारत के गृह मंत्री हैं, हम आपका सम्मान करते हैं **...(समय की घंटी)**...

श्री विजय गोयल (राजस्थान) **:** उपसभापति महोदय **...(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : आप कृपया मेरी बात खत्म होने दें, बीच में मत बोलें। विजय जी, मैं खत्म कर रहा हूं। गृह मंत्री महोदय यह जरूर स्पष्ट करें कि आप कैसी प्रक्रिया बनाएंगे, जिससे जो भी गाड़ी है, जो भी ड्राइवर है, उसका background, उसके अपराध की हिस्ट्री का पता चल सके और सारे ड्राइवर्स का, चाहे फॉरेन कम्पनीज़ हों या हिन्दुस्तान की रेडियो टैक्सी सर्विस हो, एक central data bank हो, मॉनिटरिंग सिस्टम हो।

श्री उपसभापति : ठीक है। श्री सतीश चन्द्र मिश्रा।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) **:** सर, मैंने भी अपना नाम दिया है।

श्री उपसभापति : आपको भी बुलाएंगे।

श्री नरेश अग्रवाल : ऑर्डर क्या है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Everybody should stick to two minutes. यह मेरा ऑर्डर है। हर मेंबर दो मिनट का समय ले और केवल क्लैरीफिकेशंस पूछें।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदय, जो घटना हुई है, वह बहुत ही गंभीर घटना है और इसमें हम सब लोग बहुत दुखी हैं। सर, इस घटना से पहले इसी तरह की एक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसके बाद बहुत सी कार्यवाहियां की गयीं और कहा गया कि जहां तक दिल्ली और एन.सी.आर. का सवाल है, उसमें हमने ऐसा इंतज़ाम किया है कि इस तरह की घटनाएं दुबारा न हो सकें, लेकिन जो वक्तव्य अभी माननीय होम मिनिस्टर साहब ने दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति एक सुनसान जगह पर उस टैक्सी को ले गया और वहां पर जाकर उसने यह कार्य किया, जो कि जघन्य अपराध है। सर, जब पहला कांड यहां पर हुआ था, जिसके लिए पूरा देश खड़ा हुआ था और आप लोग भी हम लोगों के साथ खड़े हुए थे, उसके बाद दिल्ली शहर में पुलिस महकमे को एक नहीं, सैकड़ों नयी गाड़ियां उपलब्ध करायी गयी थीं, यह मेरी जानकारी में भी है और सबकी जानकारी में है। वे गाड़िया सिर्फ इसलिए बढ़ायी गयी थीं जिससे कि सुपरविजन हो सके और एक continuous surveillance चलता रहे, खास तौर से रात के समय, जिससे कि कोई ऐसी जगह न मिले, जहां पर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सके। इस प्रकार आपने गाड़ियां बढ़ायीं। आपने कितनी गाड़ियां बढ़ायीं, इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां बढ़ायी गयी थीं क्योंकि मैं भी, होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसका मेंबर था और उसमें यह बात आयी थी। माननीय वेंकैया नायडु जी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने इस बात को बहुत तेजी से लाकर यह ensure कराया था कि इस तरह की व्यवस्था हो। इसके बाद भी अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो क्या पुलिस वालों के ऊपर

भी आप कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं या उनकी क्या कमी रही, उसके बारे में देख रहे हैं? जिन्होंने उसे सर्टिफिकेट दिया, वह तो अलग चीज़ है, लेकिन दिल्ली शहर में जो surveillance का हम लोगों ने पूरी पब्लिक को impression दिया था कि अब वे सेफ हैं और अब अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो immediate information मिल जाएगी, लेकिन फिर से इस तरह का एक अपराध रिपीट होता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में बताने की कृपा करें।

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति महोदय, हम सबने इसकी निन्दा की है। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीतिकरण न हो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बदायूं कांड हुआ था, उस समय इस सरकार के एक मंत्री वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने उस पर इतना बोल दिया कि यू.एन.ओ. तक में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन वह कांड दूसरा निकला। इसीलिए मैं इस बात को इससे जोड़कर कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आप हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाहता हूं। एक तो आप बताएं कि और कितने कानून देश में बनेंगे, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सकें? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन के माध्यम से आप देश की जनता को बताएं कि क्या सरकार फिर से कोई नया कानून बना रही है या सब कानूनों पर फिर से समीक्षा करके एक ऐसा कानून बनाएगी जिससे देश में महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो? दूसरा, जैसा आपने कहा कि हमने सभी राज्य सरकारों को, संघ शासित प्रदेशों को, यू.टीज़ को एडवाइज़ किया है कि सब जांच करा लें। इस प्रकार फिर वही बात होगी कि किसी राज्य सरकार का एक्ट कुछ और बनेगा और किसी यू.टी. का कुछ और एक्ट बनेगा। यह केवल रेडियो टैक्सी का सवाल नहीं है। स्टेट्स में तमाम ऐसी टैक्सीज़ चल रही हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनसे रोज किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। क्या केन्द्र सरकार राज्यों और यू.टीज़ के साथ बैठकर ऐसा कोई unanimous लॉ बनाएगी, जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो, जिससे फर्जी टैक्सीज़, जो क्रिमिनल्स लोग यूज़ करते हैं, उन पर प्रतिबंध लग सके।

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, there were two incidents last week both in Delhi, both involving people who are desperately fighting for their rights -- the one, where we have a statement, about the woman and the other about a minority in Delhi, whose Church was burnt. I want to make three direct questions to the Home Minister because we had a sad incident on the 16th of December two years ago. So, from the 16th of December till now, what has been done? How many all-women police stations have been set up in Delhi in the last two years? I know the figure for Bengal. The figure is 65. Twelve are being rolled out every year. My second question is how many fast track courts have been set up since that dastardly incident till now, in the last twenty four months. I will give you the number of Bengal. Since that disastrous day, forty-five have been set up; target was 88. My third question is : Are you considering setting up a model like we do in Bengal, *Atma Raksha*, where young girls, executives and juniors are trained how

[Shri Derek O' Brien]

to handle these difficult situations? These are my three direct questions to the Home Minister because what we heard this today from the Home Minister (a) was a photocopy of the FIR and (b) Uber has been banned or will be banned. Let us look at the bigger picture to provide actual happenings. Because of the dastardly incident two years ago, today I am happy to say, all the statistics and whatever little awards we are getting is of my city, Kolkata. It is the safest in the last two years. On these crimes ...*(Interruptions)*... Sir, Jayaji wanted to speak, but when I asked her to speak, she said, "I am so disappointed I don't want to speak on this subject anymore because nothing else is happening."

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, this is my silent protest.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) **:** सर, 16 दिसम्बर को जो निर्भया की घटना हुई थी, उसके पिता जी का स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुनाता हूं। **...(व्यवधान)...** सर, मैं उस निर्भया बेटी के बाप के स्टेटमेंट की दो लाइनें पढ़कर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं:-

1. In a high profile case like my daughter's if it could take so much time in punishing the culprits -- the case has been lying with the Supreme Court for the past six months...

2. When we don't object to what our sons wear, eat or drink, then why should our daughters be told this? सर, दो साल पहले जो घटना हुई थी, समूचे देश की संवेदनाएं जगी हुई थीं और लगता था कि सारे देश में इसके विरुद्ध एक वातावरण बना है। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि काबिल गृह मंत्री जी की मौजूदगी के बावजूद भी जो एक हजार करोड़ रुपये का स्पेशल फंड था, उसका एक पैसा भी आज तक खर्च नहीं किया गया है। यह तो हमारी गंभीरता है।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस का बयान है कि दिल्ली में वैरिफिकेशन आसान नहीं है। दिल्ली में रेप आसान है, लेकिन इन गुंडों का, जो दिल्ली में टैक्सियां चला रहे हैं, जो रेप करते हैं, इनका वैरिफिकेशन आसान नहीं है, no check, no balance on the varification and the character verification of the cab drivers. इस लड़के ने पहले भी कई बार ऐसे attempts किए हैं जिनमें वह सक्सेसफल रहा है। उसके गांव मैनपुरी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। गांव की लड़कियां अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं जिस दिन यह छुट्टी लेकर गांव जाता है। This is the record of that criminal who was moving very freely and daily. सर, दिल्ली में पब्लिक सर्विसेज़ के अंदर कोई जी.पी.एस. नहीं है। **...(समय की घंटी)...** सर, सबसे बड़ी बात यह है, यह निर्भया के बाप ने कहा है कि ट्रायल कैसी, ट्रायल? जितने भी victims हैं, उनके खिलाफ जो गवाही होती है, they turn hostile... ...*(Time-bell rings)...* यह कैसा कानून है, यह कैसी व्यवस्था है, यह कैसी सिविल सोसायटी है, कैसे हम मर्द हैं और हमें अपने मर्द होने पर अफसोस है कि हमारे जैसे लोगों के रहते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं। धन्यवाद।

श्री विजय गोयल : सर, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखकर हम सब को चिंता होती है। मैं तीन प्रश्न गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। कानून तो बहुत हैं। कानूनों का पालन सख्ती से करने की आवश्यकता है। आज ऐसा है कि अगर कोई घटना, दुर्घटना हो रही है और पी.सी.आर. वैन आपके पास खड़ी है, तो आप अगर पी.सी.आर. वैन को यह कहोगे कि भाई घटना, दुर्घटना हो रही है, आप तुरन्त आ जाओं, तो वे कहते कि पहले 100 नम्बर पर कॉल करो, उसके बाद हम वहां पर आएंगे। मैं समझता हूं कि इस बारे में यह होना चाहिए कि यदि PCR को सीधे तौर पर कोई शिकायत मिलती है, तो वह तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही करे। हम यह कह तो देते हैं कि कैब ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन हो, घरों में नौकरों की वेरिफिकेशन के लिए जब दिल्ली पुलिस दूसरी स्टेट वालों को पत्र लिखती है, क्योंकि यहां पर ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो वे उस पर रिस्पोंड ही नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका एक डाटा बनाया जाए कि कितने लोगों ने अपने नौकरों की वेरिफिकेशन के लिए लिखकर दिया और कितनों की वेरिफिकेशन हो पाई। ऐसा ही कैब ड्राइवर, बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के बारे में भी होना चाहिए कि उनकी वेरिफिकेशन के लिए दूसरी स्टेटों की पुलिस इसके अंदर मदद करेगी।

कैब के अंदर एक सिस्टम लगना चाहिए कि पैसेंजर कब पहुंचा है और पैसेंजर के पहुंचने की भी उनको इत्तिला होनी चाहिए। मान लीजिए नौएडा से दिल्ली आने में दो घंटे का समय लगता है, अगर दो घंटे में पैसेंजर नहीं पहुंचा, तो सिस्टम काम करना शुरू होना चाहिए कि वह क्यों नहीं पहुंचा?

सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गृह मंत्री के आने के बाद चुस्ती-दुरुस्ती दिखाई गई है, फास्ट ट्रेक कोट्र्स बनी हैं **...(व्यवधान)...** आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं रिकार्ड पर यह बात कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...** फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : प्लीज़।

श्री विजय गोयल : पुलिस को आधुनिक रंग दिया गया है। हर थाने में महिलाओं की नियुक्ति की गई है, किन्तु उसके बाद भी पुलिस को जहां accountable बनाना चाहिए, वहां पुलिस को सुविधाएं भी देने की जरूरत है। **...(समय की घंटी)...** जो आदमी आठ घंटे काम करता है, वह दस घंटे तो कर सकता है, लेकिन 16 घंटे काम नहीं कर सकता। **...(समय की घंटी)...** अगर आप पुलिस को सुविधाएं नहीं देंगे, तो फिर रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ सकते। **...(समय की घंटी)...** मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस ने तीन दिनों में जिस तरह से अपराधी को पकड़ा है, वह एक अच्छा काम है, लेकिन होना यह चाहिए कि ऐसी घटना न हो।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You sit down.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, the situation is serious *...(Interruptions)...* You must allow me to speak *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know about it. You sit down ...*(Interruptions)*... Don't do that. ...*(Interruptions)*... Jayaji, don't do like that.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, the point is ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, don't create problem, at least, on this subject.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am not, Sir. But, this is a very sensitive subject ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to allow everybody. You listen to that. That is why I am controlling and giving only two minutes to each Member. Don't interfere like this ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: No, Sir. That is not fair.

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) **:** डिप्टी चेयरमैन सर, दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। घटना होने के बाद ही तो हम अपराधी को अरेस्ट करते हैं। इस पार्लियामेंट ने अपराधी को फांसी की सजा देने का भी कानून बनाया है। उसके बावजूद भी मानवता की, नीतिमत्ता की * करने का काम पूरे देश में हो रहा है। ऐसी घटना घटने के बाद तो हम अपराधी को अरेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी मांग की थी कि शिवाजी महाराज के कार्यकाल में अगर कोई बलात्कार करता है, तो उसके हाथ-पैर तोड़ने की सजा दी जाती थी। ठीक है, उसको फांसी तो बाद में मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको हाथ-पैर तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ यह करना चाहिए कि यदि वह शादीशुदा नहीं है, तो उसके साथ किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई इसी तरह का कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। दो साल पहले निर्भया कांड पर जो कुछ भी हुआ था, अभी भी टैक्सी में हुआ है और इससे पहले बस में हुआ, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से इससे ज्यादा कोशिश हो रही है और आप लोग उधर चिंता मत करिए। ऐसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए हमारे गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी मजबूत हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी भी मजबूत हैं और सब लोग मजबूत हैं, हम आप लोगों से भी ज्यादा मजबूत हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि बलात्कार कम हों, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए गृह मंत्रालय को महिला पुलिस की भर्ती करनी चाहिए। **...(व्यवधान)...** ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिस की भर्ती करनी चाहिए। **...(समय की घंटी)...** दिल्ली, मुम्बई जैसे शहरों में ऐसी इंटेलीजेंट पुलिस हो कि अगर कोई महिला टैक्सी से जाती हो, उस टैक्सी को रोक कर, उसकी जांच करनी चाहिए। यदि कोई महिला किसी टैक्सी से जा रही है, तो उसको रोक कर उसकी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। इसलिए गृह मंत्रालय को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

DR. T.N. SEEMA (Kerala): Sir, a war on woman is going on in this country, which we proudly say 'India'. Sir, we can't live like this. Women are not safe anywhere. Even in the capital, they are not safe. Then what about the rural India? There were many promises

* Expunged as ordered by the Chair.

made in the House and outside regarding fast-track courts, speedy trial, sensitization of the Judiciary, short-stay homes, etc. I would like to ask the hon. Minister, through you, Sir: What are the concrete steps taken by the Ministry to ensure safety of women in the last seven months? My second question is on the Criminal Law Amendment Act. The Criminal Law Amendment Act makes officials accountable for the lapses on their part. What about the accountability of the Government? What about the accountability and the responsibility of the Ministries when they fail to fulfill the promises made? The Ministry, the Government and the officials in the Government should be made accountable for this kind of lapses. Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, we all condemn the heinous crime that took place in Delhi. Despite strong legislation passed by our Parliament, such crimes keep happening in different parts of the country, particularly in the national capital of India. This is very shocking. It saddens everybody. Sir, I join Mr. Anand Sharma in asking those two questions. What is the mystery around the conduct certificate given to the driver? Secondly, is the Government unanimous in cancelling the licenses or stopping the service of Uber and the other, because there are different voices coming from the Government? Thirdly, crimes are taking place in transport whether private or public and the school children are not spared. The school-going girls are being abused by the cab drivers. This is very sad, Sir. Is there any mechanism to regulate these services in the interest of providing safety and security to our girls, our children and our women? Here, I think, being the national capital, the Home Ministry has the primary responsibility. Being the Home Minister, you should own up the responsibility and you should respond accordingly. We can't ask anybody else. Only the Home Minister and the Home Ministry must be answerable to all these things. What is the mechanism you are thinking? If there is anything in the process, you can share with the House. Last time, we had enough discussion on this crime and we expressed our anger, anguish. These things should be shared with us and you should respond.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) **:** उपसभापति जी, मैंने गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह किसी अखबार से ली गई है, क्योंकि यह चीजें आज के पूरे न्यूजपेपर में आई हुई थीं। इसमें गृह मंत्री जी ने कोई नई चीज़ नहीं कही है कि वे क्या स्टेप्स उठाने जा रहे हैं या उन्होंने क्या किया है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सभी आइसोलेटिड प्लेसज़ पर हो रहे हैं, तो क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने दिल्ली की कोई मैपिंग की है? जहां पर ऐसी आइसोलेटिड जगहें हैं, जहां ऐसे क्राइम्स होने की संभावना हो सकती है, सुनसान जगहें हैं, क्या उनके द्वारा इस संबंध में ऐसी कोई मैपिंग की गई है? क्या वहां पर कोई फोर्स रखी गई है? जिस तरह से अभी कहा गया कि कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, तो क्या उन जगहों पर, जहां पर हो सकता है कि एयर पोर्ट से आ रहे हैं,

[श्रीमती विप्लव ठाकुर]

वसंत कुंज जा रहे हैं, या गुड़गांव जा रहे हैं, या नोएडा से आ रहे हैं, क्या ऐसी जगहों के लिए कोई व्यवस्था रखी गई है कि जहां पुलिस यह महसूस करे कि यहां ऐसी घटना हो सकती है? जो बॉर्डर्स हैं, खास कर नोएडा, गुड़गांव या उस तरफ का बॉर्डर है, क्या उन पर भी कोई चौकसी रखी जा जाती है? वहां से जो आने वाले लोग हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर आदि हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? होम मिनिस्टर साहब, इसके लिए कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? उन कानूनों को लागू कौन करेगा? अभी यह ठीक कहा गया कि इतनी-इतनी देर तो फैसलों में ही लग जाती है, लेकिन क्या इतना कह देने से ही बात बन जाएगी? आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, केवल बातें मत कीजिए। आप ऐसी स्टेटमेंट भी मत दीजिए जो पहले ही अखबारों में आ चुकी है, कंक्रीट बात बताइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right. Now, Shri A. Navaneethakrishnan ...*(Interruptions)*... I am only calling names which I have got in writing. So, if you will raise your hands, I am helpless. ...*(Interruptions)*... I will dispose these names first. ...*(Interruptions)*... I told you that I have not completed it. I am yet to complete it. ...*(Interruptions)*...

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should show some patience. ...*(Interruptions)*... There are already two people from your party ...*(Interruptions)*... The list is with me; I know that. ...*(Interruptions)*... Now, do not argue with me; sit down. You should settle these things; not with me.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. In this context I would like to bring to the notice of this august House that in Tamil Nadu, in the whole of India, All-Women Police Stations have been established by hon. Amma and other States have followed it later on. Now, the police has arrested the culprit and we hope that law will take its own course of action. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are simply raising your hands; you should know that others have given names in advance, in writing. I cannot favour somebody, left or right. So, this kind of an attitude is not correct; I am telling you. Your leader asked me first ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, why are you loosing your temper? Please, Sir, it is not good for your blood pressure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Rajani Patil.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) **:** सर, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर यहां बयान दिया है। हमारे मन में जो सवाल पैदा होते हैं, उनमें से दो-तीन मुद्दों को मैं बताना चाहूंगी। निर्भया हत्याकांड के समय, उस समय की यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने NCRB वेबसाइट लांच की थी। 'Name and Shame' प्रोजेक्ट के तहत rape convicts की डिटेल्स को National Crime Records Bureau की वेबसाइट पर डालने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में उस पर कोई काम नहीं हुआ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, इतनी बड़ी घटना आज दिल्ली में घटी है, इसलिए आज यहां पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर, पूरे देश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपने NCRB वेबसाइट को रिवाइव करने के बारे में कुछ सोचा है? बाहर के देशों में, चाहे यू.एस.ए. हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यू.के. हो, इन सब जगहों पर इस प्रकार के ऑफेंडर्स का एक डाटाबेस तैयार किया गया है। वह डाटाबेस सभी ऑफिसिज़ में भेज दिया जाता है, जिससे यह मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। अगर वह व्यक्ति क्रिमिनल है, तो उसका बैकग्राउंड तुरन्त आगे आ जाता है। अगर हमारे पास भी इसी तरह के इस लड़के का बैकग्राउंउ रहता, तो हमें पता चल सकता था कि पहले भी इस लड़के ने इस तरह के अपराध के लिए सात महीने की जेल काटी है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उस लड़के को नौकरी पर लगा दिया गया था।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से वही बात पूछना चाहूंगी, जो अभी हमारे नेता श्री आनन्द शर्मा जी ने पूछी। यह बहुत ही अहम सवाल है और यह बात पेपर में भी आ चुकी है। पुलिस ने वेरिफिकेशन करके दे दिया था। अगर पुलिस का वेरिफिकेशन फर्जी था, तो इसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ जाती है, ऐसे में निशाना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ होना चाहिए, उसकी एकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। यहां आकर सिर्फ भाषण कर देने से कुछ नहीं होगा, एकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत आवश्यक है। यू.पी.ए. सरकार ने लोगों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे। **...(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; Shri Rajeev Shukla.

श्री जेसुदासु सीलम (आन्ध्र प्रदेश) **:** सर, हाथ पहले हमने उठाया था, लेकिन नम्बर इनको पहले मिल रहा है।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) **:** सबसे पहले मेरी स्लिप गई थी, लेकिन सबसे लास्ट में मुझे नम्बर मिल रहा है। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वरना हम भी बाकी लोगों की तरह लड़ सकते हैं।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, ये हम लोगों पर ऐलिगेशन लगा रहे हैं। हम लोग लड़े नहीं हैं, हम लोगों ने अपना राइट लिया है। ये लड़ाई शब्द वापस लें।

श्री राजीव शुक्ल : मैं भी वही कह रहा हूं। अभी आप दोनों बैठ जाइए। उपसभापति जी, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी के बयान में इस घटना का ब्यौरा दिया गया है। देश में आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की क्या परिस्थिति है, यह हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के ही एक सदस्य, श्री रामदास जी ने उसको रख दिया कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा शब्द प्रयोग किया कि पूरे देश की * हो चुकी है। तो यह एक बहुत गम्भीर आरोप खुद सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार पर लगा है।

मेरा अपना यह कहना है कि इसके नियम और कानून बने थे, अगर आपको पता हो। गृह मंत्रालय को भी पता होगा कि जो महिलाएं नाइट ड्यूटी पर काम करती हैं, खास तौर से जो गुड़गांव के कॉल सेंटर्स वगैरह में कहीं पर काम करती हैं, उनकी नाइट ड्यूटी के वक्त सुरक्षा देने के विशेष प्रावधान थे और उनके क्या ड्यूटी ऑवर्स होंगे, इसके लिए भी प्रोविजन किया गया था। क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने उसे फॉलो किया? क्योंकि वह रात को दस बजे गुड़गांव स्थित ऑफिस से चली थी। नाइट ड्यूटी पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रोविजंस हैं, आपने क्या बनाए हैं, इसको कृपया बताने का कष्ट करें।

दूसरा, एक छोटा सा सवाल है। नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि और सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सख्त कानून नहीं हो सकता, जो बना है। इससे और सख्त कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई महिलाओं की तरफ देख भी नहीं सकता है।

तीसरी बात, जो कुछ लोग गोल-मोल करके पूछ रहे हैं, मैं सीधे पूछता हूं। नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अगर ट्रेन में बलात्कार हो जाए, तो क्या ट्रेन्स बंद कर दोगे, जहाज में बलात्कार हो जाए, तो क्या जहाज बन्द कर दोगे या बसों में बलात्कार हो जाए, तो क्या बसें बंद कर दोगे, तो फिर Uber को क्यों बंद किया गया? आज अगर कंट्री का सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यह बात बोल रहा है, तो **...(समय की घंटी)...** इसमें गृह मंत्रालय का क्या स्टैंड है कि एक विभाग दूसरे विभाग को **...(समय की घंटी)... ...(व्यवधान)...** कृपया यह बताने का कष्ट करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I hope, the hon. Home Minister would agree to it. There are only two-three names; one, one minute each. Shri Tapan Kumar Sen, you take only one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I will finish in one-and-a-half minutes. Number one, the situation again reconfirmed the deficit in surveillance. One thing has happened that you have immediately acted and arrested the man. This is one thing. But our attempt should be that this kind of a thing should not happen. The preventive surveillance was talked about, discussed also in this House after the Nirbhaya case, and it was a unanimous feeling of concern that this has to improve. So, to ensure that, what

* Expunged as ordered by the Chair.

special steps are you considering because, one after another, things are happening, that too in the Capital city? In those areas where it is happening, a lot of night work is involved, and very late in the night, people go from work to their houses. So, these areas need the special focus for surveillance. ...*(Time-bell rings)*... I want to know whether your police machinery, not only of Delhi but also of Haryana, is sufficiently manpowered to ensure that surveillance, and whether your management of surveillance, particularly in those sensitive areas, is actually working or not. Who is monitoring that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; Mr. Sen. Now, Shri Seelam.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I think, in these areas, the hon. Home Minister needs to make special efforts so that it does not happen again. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; okay.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, please let me complete. Sir, the kind of trauma the victim is undergoing, we cannot even imagine. She does not feel like living. So, in that kind of a situation, our preventing initiative is much more important. Kindly let us know as to what special measures you are going to take.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. Seelam, take only one minute.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I join the hon. Members in condemning this dastardly act. Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister one thing. The Statement of the hon. Home Minister says, "The Delhi Police is also exploring the issue of possible legal liability of the taxi service". I am sure, in this country, there are private taxi owners whose taxis are taken on lease by drivers. I am sure, this issue would have been settled, and I would request that this should be immediately fixed.

Sir, my friend, Parvezji also wanted to speak on the system of registration of private taxis. Sir, you have to go into the roots of these issues because this is not an isolated incident, and it is happening repeatedly. I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to this issue. Vijayji is saying that so many people have been appointed and so many homes have been opened. ...*(Time-bell rings)*... would like the Home Minister to give a detailed account as to how many women police personnel you have been able to appoint since your taking over, etc., etc. Last but not the least; I agree with Mr. Derek that along with this heinous crime, there was also an incident taking place of burning of a church. There are atrocities on Christians in Chhattisgarh, Madhya Pradesh. ...*(Interruptions)*... The Home Minister should also be kind enough to make a statement on this in order to instil confidence. ...*(Interruptions)*... ...*(Time-bell rings)*... I am not diluting the case, but I would like to support the view. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : सर, आज से 6-7 महीने पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बड़ी जोर-शोर से उठी थी। मैं यह नहीं कहती कि इस दुखद घटना के ऊपर राजनीतिक करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को उठाया था और कहा था, आज वे सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं। आज न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। बड़ी महिलाओं के साथ-साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में पढ़ते हैं, जो कैब्स से जाते हैं, छोटी-छोटी गाड़ियों से या ऑटो रिक्शा में जाते हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं ये घटनाएं घटित होती है रहती हैं। यहां पर बहुत सारी बातें सभी माननीय सदस्यों ने उठाईं, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहती हूं, सर, कि रजिस्ट्रेशन के नियम, कायदे, कानून होते हैं, चाहे वे प्राइवेट टैक्सीज़ के हों, चाहे वे ऑटो रिक्शाज़ के हों, इसके साथ-साथ ड्राइवरों के भी रजिस्ट्रेशन की बात होती है, इसके लिए कहीं न कहीं अकाउन्टेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं। अभी इस केस में बताया गया है, प्रिंट मिडिया में बताया गया, चैनलों में दिखाया जा रहा है कि जो ड्राइवर पकड़ा गया है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन सरिता विहार, अम्बेडकर नगर में हुआ था और उसको कैरक्टर सर्टिफिकेट दिया गया था। **...(समय की घंटी)...** सर, ये बातें बताई जा रही हैं। सर, मैं जानना चाहती हूं कि यह कहां तक सही है, क्योंकि पुलिस कुछ कहती है और मीडिया में कुछ और आ रहा है। इस पर किसी न किसी की अकाउन्टेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, in fact, I have more requests pending, but I am unable to ...*(Interruptions)*... Please cooperate because we were to finish it at 2.45. ...*(Interruptions)*...

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : सर, मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please cooperate. ...*(Interruptions)*... You will get other chances. ...*(Interruptions)*... There are a number of requests. ...*(Interruptions)*... I am unable to do that. ...*(Interruptions)*... Next time you can write. ...*(Interruptions)*... Everybody is asking me. ...*(Interruptions)*... Everybody is raising his or her hand. ...*(Interruptions)*... मैं क्या करूं? **...(व्यवधान)...**

डा. अनिल कुमार साहनी : सर, मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात को सुना है और अभी तक सेफ्टी के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं **...(व्यवधान)...**

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): He is only Member of Parliament from Delhi. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He should have given the name. ...*(Interruptions)*...

Digvijayaji, that is correct. But you should also know that he should give his name early. ...*(Interruptions)*... How do I manage the time? You tell me. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: That is right. ...*(Interruptions)*...

SHRI PARVEZ HASHMI (NCT of Delhi): I have been raising my hand for so long, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How do I manage the time? You tell me. ...*(Interruptions)*... There are so many other requests. ...*(Interruptions)*...

श्री परवेज़ हाशमी : सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का सिर्फ एक मिनट इस बात के लिए लेना चाहता था कि टैक्सियों/रेडियो टैक्सियों के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसके लिए यह रूल बना था कि जिस रेडियो टैक्सी के पास पांच सौ टैक्सीज़ उसके अपने नाम पर रजिस्टर होंगी, सिर्फ उसी को दिल्ली में रेडियो टैक्सी चलाने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब इन्होंने Pool in सिस्टम कर दिया है कि सौ डिफरेंट लोगों से टैक्सियां ले ली, अपनी एक कंपनी बना ली और उसको रजिस्टर करा कर चला रहे हैं, होटलों से चला रहे हैं, दो कमरे लेकर चला रहे हैं। इस केस के बाद क्या माननीय गृह मंत्री ने इस तरह का कोई ऑर्डर पास किया कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए कि रूल्स और रेगुलेशन्स, जिनके तहत इन्हें लाइसेन्सेज इश्यू किए गए हैं, वह प्रॉपरली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो यह है। हर आदमी सिर्फ रेप की बात कर रहा है। जहां रूट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि रूट कहां से शुरू हो रही है। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please. ...*(Interruptions)*...

डा. अनिल कुमार साहनी : उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं। यहां पर बहुत सारी बातें आई हैं, मगर जो महिला कर्मचारी हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मंत्री महोदय सेल्फ डिफेंस के लिए उनको आर्म्स का लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था करेंगे, ताकि वे सेल्फ डिफेंस कर सकें?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If I get angry, you will say that I get angry. If the Members want to speak, why do they not give their names in advance? I am finding it difficult to manage the time. I know the hon. Home Minister wanted to go at 2.45 p.m. ...*(Interruptions)*... He wanted to go at 2.45 p.m., it is already 2.50 p.m. Shri Venkaiah Naidu also wanted to go.

I crave the indulgence of this House, before the hon. Home Minister replies, please cooperate with me in withdrawing the Delhi Hotels (Control of Accommodation) Repeal Bill, 2014, because he wants to go immediately.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF

HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): There is a Romanian delegation waiting for me. I had given them an appointment at 3 o' clock, thinking that it would be over by 2.55 p.m.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You please move.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मेरी एक आपत्ति है। वेंकैया जी द्वारा इस बिल को विदड्रा करने से पहले मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मालिकों के पक्ष में कोई नया बिल लाना चाहते हैं या पब्लिक के पक्ष में लाना चाहते हैं? आप यह बता दें, जिससे इस बिल को विदड्रा करने में हम लोगों की कोई आपत्ति न हो।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This Bill was initially introduced long back, that is, after independence, in 1948, when there was no accommodation available to the Members of Parliament, the State Government officers and other dignitaries. Since 1948, we have travelled a long way. Now, we have State Government guest houses, we have other Central Government guest houses, we also have public sector organizations' guest houses. So, there are a lot of accommodations available. Keeping this in mind, we have decided to repeal this Bill. My department and the Law Department told me that they are compiling all of them together and they will be repealing them together. That being the case, I am seeking the permission of the House to withdraw the Bill.

GOVERNMENT BILLS

The Delhi Hotels (Control of Accommodation) Repeal Bill, 2014

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Delhi Hotels (Control of Accommodation) Repeal Bill, 2014.

The question was put and the motion was adopted

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I withdraw the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Incident of sexual assault on woman by a cab driver in Delhi – (Contd.)

श्री राजनाथ सिंह : उपसभापति महोदय, मेरे द्वारा जो *suo motu* स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया, उस पर इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी क्वैरीज़ की हैं। उन सब में अलग-अलग जाकर चर्चा करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।